दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों सें संबंधित सामान्य जानकारी)
16 दिसम्बर, 2003 / अग्रहायण 25, 1925 (शक)

संख्या: 03

अध्यक्ष का निर्वाचन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-8 के अनुसरण में उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के अध्यक्ष के पद का निर्वाचन करने के लिये दिनांक 19 दिसम्बर, 2003 का दिन निश्चित किया है ।

2. इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम-8 के उप नियम-(2), (3) एवं (4) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार है: -

(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की, कि किसी अन्य सदस्य को सभा का अध्यक्ष चुना जाये, सचिव को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाये, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी है :

परन्तु कोई सदस्य अपना नाम प्रस्थापित नहीं करेगा, न अपना नाम प्रस्थापित करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा अथवा न ही एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्थापित या अनुमोदित करेगा ।

(3) कार्य सूची में, जिस सदस्य के नाम में कोई प्रस्ताव हो, वह जब तक यह नहीं कहता है कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता, प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये पुकारे जाने पर प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । किसी भी मामले में वह अपना कथन इस बात तक ही सीमित रखेगा कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है या कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता है ।

(4) जो प्रस्ताव प्रस्तुत तथा विधिवत् अनुमोदित हो गये हों, वे एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिसमें कि वे प्रस्तुत किये गये हों और यदि आवश्यक हुआ तो विभाजन द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे । यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो पीठासीन व्यक्ति बाद के प्रस्तावों को रखे बिना घोषित करेगा कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है ।

3. अध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्तावों की सूचना 18 दिसम्बर, 2003 को दोपहर 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) में दी जा सकेगी ।

4. सदस्यों की सुविधा के लिये अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु प्रस्तावों की सूचना देने के लिये निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) विधान सभा सचिवालय के सूचना कार्यालय (नोटिस ऑफिस) से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

सिद्धार्थ राव
सचिव

350

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
18th December, 2003/Agrahayana 25, 1925 (Saka)

No. 03

ELECTION OF SPEAKER

In pursuance of Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, the Lieutenant Governor has been pleased to fix the **19th December 2003 for holding the election to the Office of the Speaker** of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

In this connection, attention of Members is invited to sub-rules (2), (3) and (4) of Rule 8 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi which are reproduced below: -

"(2) At any time before noon on the day preceding the date so fixed, any Member may give notice in writing, addressed to the Secretary, of a motion that another Member be chosen as the Speaker of the House, and that notice shall be seconded by a third Member and shall be accompanied by a statement by the Member whose name is proposed in the notice that he is willing to serve as Speaker, if elected:

Provided that a Member shall not propose his own name, or second a motion proposing his own name, or second a motion proposing his own name, or propose or second more than one motion.

(3) A Member in whose name a motion stands on the list of business shall, unless he states that he does not wish to move the motion, move the motion when called upon to do so. In either case he shall confine himself, to a mere statement to the effect that he moves the motion or that he does not intend to move the motion.

(4) The motions, which have been moved and duly seconded, shall be put one by one in the order in which they have been moved, and decided, if necessary, by division. If any motion is carried, the person presiding shall without putting later motions declare that the Member proposed in the motion which has been carried, has been chosen as the Speaker of the House".

NOTICES OF MOTIONS FOR THE ELECTION OF THE SPEAKER CAN BE GIVEN BEFORE NOON ON THE 18th DECEMBER, 2003, IN THE NOTICE BRANCH OF THE ASSEMBLY SECRETARIAT.

For the convenience of Members, forms for giving notices of motions for election Speaker are available in the Notice Branch of the Assembly Secretariat.

SIDDHARATH RAO
SECRETARY

57